

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/फार्मस रजि०/2014-15/51-जी/एच०एम०आई०एस०फारमेट/

दिनांक: 22-12-2014

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में एच०एम०आई०एस० फारमेट की प्रिंटिंग हेतु
आवंटित धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० वर्ष 2014-15 में मिशन
प्लैक्सीपूल मद के उपमद एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया
है:-

"Printing of HMIS formats facility based reporting at @ Rs. 229.00 per health facilities
(SC/APHC/PHC/CHC/DWH/DCH) for the financial year 2014-15). Printing should be done based
on competitive bidding and by following govt protocols as per FMR code B.15.3.2.1 for financial
year 2014-15 as per FMR code B.15.3.1.6 for financial year 2014-15 "

उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 100 प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड एच०एम०आई०एस०
रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप (दो प्रति में) उपलब्ध कराने हेतु रू० 229.00 प्रति स्वास्थ्य इकाई प्रति वर्ष की दर से
बजट प्राविधानित किया गया है। मानक के अनुसार एच०एम०आई०एस० के इस बजट का उपयोग जनपद
स्तरीय इकाइयों (SC/APHC/PHC/CHC/DWH/DCH) को रिपोर्टिंग प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार
व्यय किया जाना है।

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

No.	District	DCH	DWH	CHC/ PHC	APHC	SC	Total No. of health Functiona ries	Approve d Budget @ Rs.229/ health facilities for 24255
1	2	3	4	5	6	7	8= (3+4+5+6+ 7)	9= col 8xRs 229
1	Agra	-	1	18	43	383	445	101905
2	Firozabad	1	1	12	52	240	306	70074
3	Mainpuri	-	1	12	41	198	252	57708
4	Mathura	-	1	11	25	205	242	55418
5	Aligarh	1	1	13	35	356	406	92974
6	Etah	-	1	9	29	197	236	54044
7	Hathras	1	1	7	25	194	228	52212
8	Kashganj	-	-	7	29	163	199	45571

9	Allahabad	-	1	20	60	555	636	145644
10	Fatehpur	-	1	18	36	309	364	83356
11	Kaushambi	1	-	9	29	166	205	46945
12	Pratapgarh	-	1	27	48	344	420	96180
13	Azamgarh	-	1	29	63	493	586	134194
14	Ballia	-	1	23	66	366	456	104424
15	Mau	1	-	9	36	225	271	62059
16	Bareilly	-	1	16	50	398	465	106485
17	Budaun	-	1	17	43	296	357	81753
18	Pilibhit	-	1	8	22	199	230	52670
19	Shahjahanpur	-	1	17	36	283	337	77173
20	Basti	-	1	15	30	273	319	73051
21	Sant K Nagar	-	-	9	18	175	202	46258
22	Siddharth N	1	-	15	57	278	351	80379
23	Banda	-	1	9	45	285	340	77860
24	Chitrakoot	1	-	6	27	139	173	39617
25	Hamirpur	-	1	9	34	215	259	59311
26	Mahoba	1	1	5	14	150	171	39159
27	Bahraich	-	1	16	49	310	376	86104
28	Balrampur	-	1	10	23	206	240	54960
29	Gonda	-	1	16	50	338	405	92745
30	Shrawasti	-	-	6	12	121	139	31831
31	Ambedkar N	1	-	10	24	270	305	69845
32	Amethi*	-	-	13	28	213	254	58166
33	Barabanki	-	1	18	53	353	425	97325
34	Faizabad	-	1	12	28	246	287	65723
35	Sultanpur	-	1	13	40	245	299	68471
36	Deoria	-	1	22	61	315	399	91371
37	Gorakhpur	-	1	26	60	506	593	135797
38	Kushinagar	1	-	17	53	358	429	98241
39	Maharajganj	1	-	15	34	293	343	78547
40	Jalaun	-	1	12	30	277	320	73280
41	Jhansi	-	1	8	36	326	371	84959
42	Lalitpur	-	1	6	23	191	221	50609
43	Farrukhabad	-	1	10	25	187	223	51067
44	Auraiya	-	-	7	25	159	191	43739
45	Etawah	-	1	8	27	169	205	46945
46	Kannauj	1	-	11	27	180	219	50151
47	Kanpur Dehat	1	-	12	25	253	291	66639
48	Kanpur Nagar	-	1	10	35	391	437	100073
49	Hardoi	-	1	19	43	413	476	109004
50	Lakhimpur K	-	1	17	57	371	446	102134
51	Lucknow	1	2	9	28	323	363	83127
52	Rae Bareli*	-	1	16	48	327	392	89768
53	Sitapur	-	1	19	61	468	549	125721
54	Unnav	-	1	20	36	356	413	94577
55	Bagpat	-	-	7	21	200	228	52212
56	Bulandshahar	1	1	18	55	344	419	95951
57	G B Nagar	1	-	7	18	128	154	35266

58	Ghaziabad	1	1	5	15	145	167	38243
59	Hapur	-	-	5	23	172	200	45800
60	Meerut	-	1	14	31	315	361	82669
61	Mirzapur	-	1	16	35	251	303	69387
62	Sonbhadra	1	-	8	25	170	204	46716
63	SRavidas N	-	-	6	16	163	185	42365
64	Bijnor	1	1	18	46	343	409	93661
65	JP Nagar	-	-	8	25	169	202	46258
66	Moradabad	-	1	8	29	271	309	70761
67	Rampur	-	1	8	26	204	239	54731
68	Sambhal	-	-	9	26	216	251	57479
69	Muzaffarnagar	-	1	13	38	286	338	77402
70	Saharanpur	-	1	17	37	342	397	90913
71	Shamli	-	-	7	21	127	155	35495
72	Chandauli	-	-	10	23	248	281	64349
73	Ghazipur	-	1	18	57	393	469	107401
74	Jaunpur	-	1	23	73	478	575	131675
75	Varanasi	-	1	13	22	306	342	78318
	TOTAL	19	53	966	2696	20521	24,255	5554395

*पत्रांक: एम.डी.-कैम्प/2014-15/1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र-सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

उपरोक्तानुसार उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 100 प्रतिशत फैंसिलिटी बेस्ड एच0एम0आई0एस0 रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप (दो प्रति में) उपलब्ध कराने हेतु रू0 229.00 प्रति स्वास्थ्य इकाई प्रति वर्ष की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। मानक के अनुसार एच0एम0आई0एस0 के इस बजट का उपयोग जनपद स्तरीय इकाइयों (SC/APHC/PHC/CHC/DWH/DCH) को रिपोर्टिंग प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

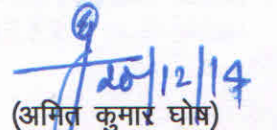
व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रसंख्या: एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/फार्मस रजि०/2014-15/51-जी/एच0एम0आई0एस0फारमेट/

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
10. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/फार्मस रजि०/2014-15/51-जी/एच०एम०आई०एस०फारमेट/

दिनांक: 22-12-2014

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में एच०एम०आई०एस० फारमेट की प्रिंटिंग हेतु आबंटित धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० वर्ष 2014-15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Printing of HMIS formats facility based reporting at @ Rs. 229.00 per health facilities (SC/APHC/PHC/CHC/DWH/DCH) for the financial year 2014-15). Printing should be done based on competitive bidding and by following govt protocols as per FMR code B.15.3.2.1 for financial year 2014-15 as per FMR code B.15.3.1.6 for financial year 2014-15 "

उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 100 प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड एच०एम०आई०एस० रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप (दो प्रति में) उपलब्ध कराने हेतु रु० 229.00 प्रति स्वास्थ्य इकाई प्रति वर्ष की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। मानक के अनुसार एच०एम०आई०एस० के इस बजट का उपयोग जनपद स्तरीय इकाइयों (SC/APHC/PHC/CHC/DWH/DCH) को रिपोर्टिंग प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार व्यय किया जाना है।

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

No.	District	DCH	DWH	CHC/ PHC	APHC	SC	Total No. of health Functiona ries	Approve d Budget @ Rs.229/ health facilities for 24255
1	2	3	4	5	6	7	8= (3+4+5+6+ 7)	9= col 8xRs 229
1	Agra	-	1	18	43	383	445	101905
2	Firozabad	1	1	12	52	240	306	70074
3	Mainpuri	-	1	12	41	198	252	57708
4	Mathura	-	1	11	25	205	242	55418
5	Aligarh	1	1	13	35	356	406	92974
6	Etah	-	1	9	29	197	236	54044
7	Hathras	1	1	7	25	194	228	52212
8	Kashganj	-	-	7	29	163	199	45571

9	Allahabad	-	1	20	60	555	636	145644
10	Fatehpur	-	1	18	36	309	364	83356
11	Kaushambi	1	-	9	29	166	205	46945
12	Pratapgarh	-	1	27	48	344	420	96180
13	Azamgarh	-	1	29	63	493	586	134194
14	Ballia	-	1	23	66	366	456	104424
15	Mau	1	-	9	36	225	271	62059
16	Bareilly	-	1	16	50	398	465	106485
17	Budaun	-	1	17	43	296	357	81753
18	Pilibhit	-	1	8	22	199	230	52670
19	Shahjahanpur	-	1	17	36	283	337	77173
20	Basti	-	1	15	30	273	319	73051
21	Sant K Nagar	-	-	9	18	175	202	46258
22	Siddharth N	1	-	15	57	278	351	80379
23	Banda	-	1	9	45	285	340	77860
24	Chitrakoot	1	-	6	27	139	173	39617
25	Hamirpur	-	1	9	34	215	259	59311
26	Mahoba	1	1	5	14	150	171	39159
27	Bahraich	-	1	16	49	310	376	86104
28	Balrampur	-	1	10	23	206	240	54960
29	Gonda	-	1	16	50	338	405	92745
30	Shrawasti	-	-	6	12	121	139	31831
31	Ambedkar N	1	-	10	24	270	305	69845
32	Amethi*	-	-	13	28	213	254	58166
33	Barabanki	-	1	18	53	353	425	97325
34	Faizabad	-	1	12	28	246	287	65723
35	Sultanpur	-	1	13	40	245	299	68471
36	Deoria	-	1	22	61	315	399	91371
37	Gorakhpur	-	1	26	60	506	593	135797
38	Kushinagar	1	-	17	53	358	429	98241
39	Maharajganj	1	-	15	34	293	343	78547
40	Jalaun	-	1	12	30	277	320	73280
41	Jhansi	-	1	8	36	326	371	84959
42	Lalitpur	-	1	6	23	191	221	50609
43	Farrukhabad	-	1	10	25	187	223	51067
44	Auraiya	-	-	7	25	159	191	43739
45	Etawah	-	1	8	27	169	205	46945
46	Kannauj	1	-	11	27	180	219	50151
47	Kanpur Dehat	1	-	12	25	253	291	66639
48	Kanpur Nagar	-	1	10	35	391	437	100073
49	Hardoi	-	1	19	43	413	476	109004
50	Lakhimpur K	-	1	17	57	371	446	102134
51	Lucknow	1	2	9	28	323	363	83127
52	Rae Bareli*	-	1	16	48	327	392	89768
53	Sitapur	-	1	19	61	468	549	125721
54	Unnav	-	1	20	36	356	413	94577
55	Bagpat	-	-	7	21	200	228	52212
56	Bulandshahar	1	1	18	55	344	419	95951
57	G B Nagar	1	-	7	18	128	154	35266

58	Ghaziabad	1	1	5	15	145	167	38243
59	Hapur	-	-	5	23	172	200	45800
60	Meerut	-	1	14	31	315	361	82669
61	Mirzapur	-	1	16	35	251	303	69387
62	Sonbhadra	1	-	8	25	170	204	46716
63	SRavidas N	-	-	6	16	163	185	42365
64	Bijnor	1	1	18	46	343	409	93661
65	JP Nagar	-	-	8	25	169	202	46258
66	Moradabad	-	1	8	29	271	309	70761
67	Rampur	-	1	8	26	204	239	54731
68	Sambhal	-	-	9	26	216	251	57479
69	Muzaffarnagar	-	1	13	38	286	338	77402
70	Saharanpur	-	1	17	37	342	397	90913
71	Shamli	-	-	7	21	127	155	35495
72	Chandauli	-	-	10	23	248	281	64349
73	Ghazipur	-	1	18	57	393	469	107401
74	Jaunpur	-	1	23	73	478	575	131675
75	Varanasi	-	1	13	22	306	342	78318
	TOTAL	19	53	966	2696	20521	24,255	5554395

*पत्रांक: एम.डी.-कैम्प/2014-15/1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र-सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

उपरोक्तानुसार उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 100 प्रतिशत फौसिलिटी बेस्ड एच0एम0आई0एस0 रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप (दो प्रति में) उपलब्ध कराने हेतु रु0 229.00 प्रति स्वास्थ्य इकाई प्रति वर्ष की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। मानक के अनुसार एच0एम0आई0एस0 के इस बजट का उपयोग जनपद स्तरीय इकाइयों (SC/APHC/PHC/CHC/DWH/DCH) को रिपोर्टिंग प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
- आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक
तददिनांक

4220-2-10

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/फार्मस रजि०/2014-15/51-जी/एच0एम0आई0एस0फारमेट/

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
10. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

9/12/14
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक